ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अनुश्रवण हेतु अध्यक्ष,राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 23–11–2007 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति – संलग्नानुसार।

1– अध्यक्ष महोदय द्वारा रायबरेली जिले के जनसुविधा केन्द्र का निरीक्षण किया गया था। इस केन्द्र से जनसामान्य को काफी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं। शेष 5 जिलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वह भी अपने जिले में इसी प्रकार का एक जनसुविधा केन्द्र बनाने हेतु किसी अधिकारी को रायबरेली भेजकर अध्ययन करवा लें। एनआईसी को इन केन्द्रों के निर्माण हेतु नोडल संस्था बनाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु समस्त धनराशि एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी जायगी।

2– कन्सल्टेन्ट्स द्वारा बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग रिक्वायरमेन्ट्स पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें प्रक्रिया के संबंध में निम्न 2 बिन्दुओं पर परिवर्तन कर शेष प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया:–

2.1 नागरिक को कोई भी सुविधा लेने से पूर्व एक बार तहसील पर आकर अपना रजिस्ट्रीकरण कराने की बाध्यता नहीं होनी चाहिये। बल्कि जो भी लोग इस सुविधा का प्रयोग करें मात्र उनका रिकार्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिये जिससे गड़बड़ी की संभावना कम होगी।

2.2 जिस भी सुविधा हेतु शासनादेशों में शपथ–पत्र लिये जाने की अनिवार्यता नहीं है, उसके लिये शपथ–पत्र किसी भी दशा में नहीं लिया जाना चाहिये। स्टाम्प ड्यूटी के स्थान पर स्वप्रमाण–पत्र के साथ कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से ट्रेजरी की रसीद लाए जाने पर भी विचार–विमर्श हुआ तथा इस पर निर्णय लिया गया कि इस संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त परिवर्तन का समावेश कर अनुमोदित प्रक्रिया संलग्नक–1 पर दी गई है।

3– अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्विस लेवल में विचार के दौरान व्यक्त किया गया कि ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रस्तावित सेवाओं की सफलता कन्सलटेन्ट्स के हाथ में है तथा उन्हें यह प्रयास करना चाहिये कि वे सेवा समय को कम से कम रखें।

4– परियोजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि सभी 10 सेवाओं (32 उप सेवाएं)के संबंध में स्पष्ट प्रक्रियाएं एवं आवेदन–पत्र के प्रारुप निर्धारित किये जायें तथा संलग्नकों की आवश्यकता पर भी विचार किया जाये। इस हेतु पूर्ववर्ती विभिन्न शासनादेशों में विभिन्न प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सेवा(उप सेवा) हेतु निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देते हुए एवं इस हेतु आवश्यक संलग्नकों एवं प्रार्थना–पत्रों के प्रारुप सहित एक परिपूर्ण एवं सुस्पष्ट शासनादेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि IT Act 2000 के अंतर्गत नियमों को भी राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित कर दिया जाय। कन्सल्टेन्ट्स द्वारा इस हेतु जारी होने वाले शासनादेश/नियमों का प्रारुप जिले में संबंधित अधिकारियों से विचार–विमर्श कर उपलब्ध कराया जायेगा जिसे राज्य सरकार की समन्वय समिति के अनुमोदन के उपरान्त संबंधित विभागों को प्रेषित कर सघन अनुश्रवण कर जारी कराये जाने के लिये प्रयास किया जायेगा। दिनांक 31–12–2007 तक कन्सल्टेन्ट्स द्वारा 5 सेवाओं(एवं उनसे संबंधित उप सेवाओं) के शासनादेशों का आलेख्य (सभी संलग्नकों सहित) उपलब्ध कराया जायेगा एवं शेष सभी सेवाओं/उप सेवाओं से संबंधित शासनादेशों का आलेख्य(सभी संलग्नकों सहित) कन्सल्टेन्ट्स द्वारा दिनांक 31 जनवरी,2008 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

5– प्रशिक्षण के संबंध में भारत सरकार से यह स्पष्ट करा लिया जाये कि कन्सल्टेन्ट्स द्वारा प्रशिक्षण योजना बनाई जायेगी या प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

148

6- ...डब्लूसी द्वारा इस प्रोजेक्ट के अनुश्रवण हेतु एक मानीटरिंग टूल 30 अक्टूबर तक ... किये जाने में कोई प्रगति न होने पर उन्हें सचेत किया गया कि इस परियोजना में कन्सल्टेन्ट्स की भूमिका इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी की है। अतः उनके द्वारा मानीटरिंग हेतु सहायता ... उनके कार्य का एक अभिन्न अंग है। निर्देश दिये गये कि प्रति सप्ताह कन्सल्टेन्ट्स का कोई प्रतिनिधि इस परियोजना की प्रगति से अध्यक्ष,राजस्व परिषद,प्रमुख सचिव,आई0टी0 एवं ... के नोडल अधिकारी विशेष सचिव,आई0टी0 से मिलकर उन्हें परियोजनो की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।

7 एनआईसी की भूमिका इस परियोजना में अप्लीकेशन डेवलपर की है अर्थात इस परियोजना हेतु समस्त साफ्टवेअर एनआईसी द्वारा बनाया जाना है। इस संबंध में एनआईसी/एनआईसी द्वारा दिनांक 26--11--07 तक इस परियोजना हेतु उनके द्वारा लगाई जाने वाली जनशक्ति का विवरण/कार्ययोजना उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8 परियोजना की संशोधित समय--सारणी पर भी चर्चा हुयी। संशोधित समय--सारणी संलग्नक 2 पर दी गयी है।

9 अगली बैठक दिनांक 28--12--07 को 11.30 बजे हेतु निर्धारित की गयी।

बैठक धन्यवाद समाप्त हुई।

(विनोद मल्होत्रा)

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग--2
संख्या--1767/78--2--2007
लखनऊ: 5 दिसम्बर, 2007

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1-- बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारीगण।
2-- निजी सचिव, विशेष सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(आमोद कुमार)
विशेष सचिव